हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताएं हटाना।

4. अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे प्रश्न का अवधारण।

5. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 दिसम्बर, 1984 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 26 अप्रैल, 1986 को पृष्ठ संख्या 717 से 721 पर प्रकाशित किया गया)

भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कुछ लाभ के पदों को, उनके धारकों को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न करने वाला घोषित करने के लिए अधिनयम।

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः—

(i) 1996[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 को महामहिम राज्यपाल द्वारा 21 नवम्बर, 1996 को अनुमति प्रदान की गई और इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तारीख 26 नवम्बर, 1996 को पृष्ठ संखया 5257 से 5260 पर प्रकाशित किया गया।

(ii) 1997[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 को महामहिम राज्यपाल द्वारा 07 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की गई और इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तारीख में 09 मई, 1997 को पृष्ठ संखया 1705 से 1708 पर प्रकाशित किया गया।

(iii) 2005[4] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 को महामहीम राज्यपाल द्वारा 31 मई, 2005 को अनुमति प्रदान की गई और इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 31 मार्च, 2005 पृष्ठ संख्या 4387 से 4390 पर प्रकाशित किया गया और जो 24 जनवरी, 2005 से प्रभावी है।

———————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 22 दिसम्बर, 1984 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 26 अप्रैल, 1986 को पृष्ठ संख्या 717 से 721 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 9 सितम्बर, 1996 पृष्ठ संख्या 4254 और 4256 देखें।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 10 अप्रैल, 1997 पृष्ठ संख्या 1266 और 1268 देखें।

4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधरण) तारीख 07 मार्च, 2005 पृष्ठ संख्या 4018 और 4021 देखें।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं**.–इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धन राशि अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आसीन भत्ता, वाहन भत्ता या गृह किराया भत्ता के रूप में संदेय अवधारित की जाए;

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या अन्य व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं;

(ग) "अकानूनी निकाय" से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है।

3. **हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हताओं का हटाना**.–कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर निरर्हत नहीं होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पदों में से किसी का धारक है:–

(क) उप–मन्त्री या राज्य मन्त्री का पद;

(ख) किसी मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप–मन्त्री द्वारा चाहे पदेन या नाम से धारित पद;

[1](ख–क) मुख्य मन्त्री के राजनैतिक सलाहकार का कार्यालय;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा या संसद या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(घ) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का पद;

(ड.) किसी विधान सभा में या संसद में मुख्य सचेतक, उप–मुख्य सचेतक या सचेतक का पद;

———————————

1. खण्ड (ख–क) 2005 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा जोडा गया जो 24 जनवरी, 2005 से प्रभावी है।

(च) ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसका नाम लम्बरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख हो या कोई अन्य नाम हो, जिसका कर्तव्य भू–राजस्व का संग्रह करना है और जिसका पारिश्रमिक उसके द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व की रकम में से अंश के रूप में या उस पर कमीशन के रूप में दिया जाता है किन्तु जो कोई पुलिस कृत्य नहीं करता है;

(छ) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना में कोई पद;

(ज) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;

(झ) किसी विश्वविद्यालय के अभिषद, वरिष्ट सभा, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या सभा के या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ञ) किसी विश्वविद्यालय के उप–कुलपति का पद;

[1](ञ–क) किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, जहां किसी व्यक्ति को उस पर नियुक्त करने की शक्ति या इससे हटाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है;

(ट) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा भारत से बाहर भेजे गए या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य से बाहर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भेजे गए किसी शिष्टमण्डल या मिशन के सदस्य का पद;

(ठ) लोक महत्व के किसी विषय की बाबत सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी विषय में जांच करने या उस की बाबत आंकड़े संग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से स्थापित किसी समिति के (चाहे वह एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो) अध्यक्ष या सदस्य का पद;

यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

(ड) ऐसे निकाय से भिन्न, जो खण्ड (ठ) में निर्दिष्ट है किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के [2](अध्यक्ष या उपाध्यक्ष,) निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

(ढ) सरकारी प्रबन्ध के अधीन किसी अस्पताल में अवैतनिक स्वास्थ्य अधिकारी या अवैतनिक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी का पद;

---

1. खण्ड (ञ–क) 1996 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा जोडा गया, यह संशोधन 1997 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा 01 जूलाई, 1994 से किया गया या सदैव किया गया समझा जाएगा।

2. 1996 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 द्वारा "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" शब्द और चिन्ह का लोप किया गया और यह संशोधन 1997 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा 01 जूलाई, 1994 से किया गया और सदैव किया समझा जाएगा।

(ण) अपनी सेवा पेंन्शन, राजनीतिक पेंन्शन या अनुदान, मनसब, पूर्व अनुदान या किसी जागीर की बाबत किसी प्रतिकर की संराशिकरण राशि, इनाम या अन्य अनुदान लेने वाला कोई व्यक्ति;

(त) ऐसे कमीशन के लिए जो केन्द्रीय सरकार ने इस निमित्त निर्धारित किया हो, या बिना कमीशन के राष्ट्रीय योजना पत्रों या किन्हीं अन्य बचत पत्रों या ऐसे किसी अन्य वचत–पत्रों, या सरकारी प्रतिभूतियों का जो उस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए विक्रय करने या इसके लिए अभिदान का संग्रह करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता का पद या इसी प्रकार का अन्य पद;

(थ) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई किसी परीक्षा के किसी परीक्षक का पद;

(द) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरपंच या किसी पंचायत के सदस्य का पद; और

(ध) इस धारा के खण्ड (ठ) और (ड) में किसी बात के होते हार भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद या राज्य सरकार द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद ।

4. **अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे प्रश्न का अवधारण.**–इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उठे इस प्रश्न का अवधारण कि कोई पद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद है या नहीं उसी प्रकार किया जाएगा मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्विक तारीखों को प्रवृत्त थे।

5. **निरसन और व्यावृत्ति.**– हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना)
1971 का 4 अध्यादेश, 1971 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानों यह अधिनियम 25 जनवरी, 1971 को प्रारम्भ हो गया था।